2012:CGHC:5704

पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (दांडिक) क्रमांक - 2147/2010

याचिकाकर्ता :

1. श्रीमती चेतना सुराना, पत्नी श्री आनंद सुराना, आयु 47 वर्ष, निवासी – "नानेश कृपा", सिविल लाइन्स, थाना सिविल लाइन्स, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. पुलिस महानिदेशक, रायपुर (छ.ग.)
3. थाना प्रभारी, पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
4. श्री डी.पी. गांधी, पिता श्री डी. प्रकाश राव गांधी, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी – 61, शहीद स्मारक परिसर, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.)
5. श्री राजेन्द्र जैन, पिता स्व. श्री बी.आर. जैन, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी – वर्धमान ऑटो डील, राजकुमार कॉलेज परिसर, मारुति बिजनेस पार्क, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)
6. श्री हर्ष जैन, पिता श्री प्रेमराज जैन, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी – 61, शहीद स्मारक परिसर, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.)

2012:CGHC:5704

7. श्री प्रेमराज जैन, पिता श्री आज्ञाराम जैन, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी – 61, शहीद स्मारक परिसर, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

(एकलपीठ : माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश)

उपस्थिति : श्री अनिल खरे, श्री आनंद ददरिया एवं श्री अधिराज सुराना,, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री जी.डी. वासवानी, शासकीय अधिवक्ता – राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से।

श्री प्रफुल्ल एन. भारत, अधिवक्ता – उत्तरवादी क्रमांक 4 से 7 की ओर से।

आदेश

(27.03.2012)

माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. वर्तमान रिट याचिका, वस्तुतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर की गई है, जो दिनांक 09/12/09 (अनुलग्नक पी/1) को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा पारित उस आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 182, 211/34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है; साथ ही दिनांक 16/09/08 (अनुलग्नक पी/2) को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा पारित

उस आदेश के विरुद्ध भी, जिसके द्वारा उन्होंने पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत (अनुलग्नक पी/16) के संबंध में प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट (**closure report**) को स्वीकार किया था; तथा दिनांक 04/11/09 (अनुलग्नक पी/3) को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित उस आदेश के विरुद्ध भी, जिसके द्वारा दिनांक 16.09.2008 के आदेश के विरुद्ध वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दायर दांडिक पुनरीक्षण याचिका को रद्द कर दिया गया था।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :

I. याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 4, 5, 6 एवं 8 के साथ फर्म मेसर्स नेचुरल एस्टेट्स की भागीदार थी। फर्म का व्यवसाय रायपुर शहर के बाहरी क्षेत्र में भूमि क्रय करना तथा उसे विकसित कर छोटे आवासीय भू-खण्डों में परिवर्तित कर अन्य व्यक्तियों को विक्रय करना था।

II. उक्त फर्म का विघटन दिनांक 28.01.2004 को एक विघटन विलेख द्वारा किया गया, जिसके पश्चात उत्तरवादी क्रमांक 4 डी.पी. गांधी को एकमात्र स्वामी (**sole proprietor**) छोड़ दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

III. फर्म के विघटन के पश्चात उत्तरवादी क्रमांक 4, जो मेसर्स नेचुरल एस्टेट्स का एकमात्र स्वामी था, ने दिनांक 12.07.2004 को तहसीलदार के समक्ष 0.991 हेक्टेयर भूमि के संबंध में याचिकाकर्ता के स्थान पर मेसर्स नेचुरल एस्टेट्स का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

IV. तहसीलदार ने उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए 0.991 हेक्टेयर भूमि पर याचिकाकर्ता के स्थान पर फर्म मेसर्स नेचुरल एस्टेट्स का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी गई।

V. मामला राजस्व मंडल तक पहुँचा, जहाँ तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक डब्लू. पी. 1242/2007 प्रस्तुत की, जो वर्तमान में लंबित है।

VI. याचिकाकर्ता द्वारा एक सिविल वाद भी प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में लंबित है।

VII. दिनांक 23.09.2005 को याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के समक्ष एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 4 से 7 के विरुद्ध इस आधार पर दांडिक कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया कि नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन झूठे शपथपत्रों पर आधारित था तथा यद्यपि भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख याचिकाकर्ता के पक्ष

में थी, फिर भी उन्होंने भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर याचिकाकर्ता के साथ छल किया।

VIII. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामला थाना गोल बाजार, रायपुर को संदर्भित किया, जहाँ याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 के अंतर्गत उत्तरवादी क्रमांक 4 से 7 के विरुद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी, गोल बाजार ने अपराध क्रमांक 137/2007 पंजीबद्ध किया।

IX. थाना प्रभारी, गोल बाजार द्वारा विवेचना प्रारंभ किया गया गई। विवेचना के दौरान उत्तरवादी क्रमांक 8, प्रेमराज जैन ने उत्तरवादी क्रमांक 2 पुलिस महानिदेशक, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष दिनांक 20.11.2007 को एक आवेदन (अनुलग्नक पी/17) प्रस्तुत कर प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रकरण बंद करने का अनुरोध किया।

X. पुलिस महानिदेशक ने जांच कर एक समीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक पी/18) तैयार किया तथा उक्त प्रतिवेदन थाना प्रभारी, गोल बाजार को यह मत व्यक्त करते हुए भेजा कि मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, प्रतिवादियों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है तथा एकमात्र विकल्प प्रकरण को बंद करना है। उन्होंने याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 182/211/34 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की भी राय दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

XI. विवेचना अधिकारी अर्थात थाना प्रभारी, गोल बाजार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष खात्मा रिपोर्ट (**closure report**) प्रस्तुत किया।

XII. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात दिनांक 16.09.2008 को (अनुलग्नक पी/2) खात्मा रिपोर्ट स्वीकार किया तथा यह पाया कि व्यवहार वाद क्रमांक 88अ/2005 पक्षकारों के मध्य स्वत्व विवाद के निर्धारण हेतु लंबित है, किंतु प्रतिवादियों द्वारा न तो कोई धोखाधड़ी की गई है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

XIII. याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के विरुद्ध प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 04.11.2009 को विस्तृत विचार के पश्चात ख़ारिज कर दिया गया।

XIV. तत्पश्चात थाना प्रभारी द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 182, 211/34 के अंतर्गत कथित अपराध के संबंध में दिनांक 20.11.2009 को शिकायत

(अनुलग्नक पी/19) दर्ज की गई तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दिनांक 09.12.2009 को (अनुलग्नक पी/1) याचिकाकर्ता को समन जारी किए।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री अनिल खरे, श्री आनंद दादरिया एवं श्री अधिराज सुराना ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया:–

(i) वादग्रस्त भूमि याचिकाकर्ता द्वारा फर्म से उसकी व्यक्तिगत क्षमता में क्रय की गई थी; वह फर्म की संपत्ति नहीं थी; उक्त भूमि फर्म की संपत्ति का भाग नहीं थी। उपर्युक्त तथ्यों को पूर्ण रूप से जानते हुए भी उत्तरवादी क्रमांक 4 ने मिथ्या शपथपत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन किया। अतः पुलिस थाना गोल बाजार द्वारा पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट (**closure report**) प्रथमदृष्टया अवैध है तथा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करना अधिकारिता के अभाव में किया गया कार्य है और पुनरीक्षण न्यायालय ने भी बिना समुचित विचार किए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को ख़ारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) आगे यह भी तर्क दिया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने थाना प्रभारी, गोल बाजार द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 182, 211/34 के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायत पर याचिकाकर्ता को समन जारी कर दिए, वह भी यांत्रिक (**cyclostyled**) ढंग से, बिना शिकायत एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किए। उनके अनुसार, यह एक बात है कि किसी प्रकरण को सिविल प्रकृति का मानते हुए दांडिक अभियोजन योग्य न माना जाए और यह बिल्कुल दूसरी बात है कि चूँकि अभियुक्तों के विरुद्ध दांडिक मामला नहीं बनता, इसलिए स्वयं शिकायतकर्ता के विरुद्ध धारा 182 एवं 211 का अपराध बनता है। विद्वान् पुलिस महानिदेशक, थाना प्रभारी एवं अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के इस महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक प्रावधान की पूर्णतः उपेक्षा की है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने आगे निम्नलिखित मुद्दे भी उठाए:–

(a) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1) के अनुसार, भारतीय दंड संहिता कीा की धारा 182 के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय तब तक नहीं ले सकता जब तक कि संबंधित लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत न की जाए तथा धारा 211 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में भी केवल न्यायालय अथवा

उस न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु लिखित रूप से अधिकृत अधिकारी की लिखित शिकायत पर ही संज्ञान लिया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता द्वारा रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जबकि शिकायत थाना प्रभारी, गोल बाजार द्वारा दर्ज की गई, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क)(**i**) के अर्थ में **"**संबंधित लोक सेवक**"** नहीं है। इसी प्रकार, धारा 211 के अंतर्गत शिकायत न्यायालय द्वारा दर्ज नहीं की गई है। अतः स्वयं शिकायत ही विधिक रूप से अक्षम है।

(**b**) पुलिस प्राधिकारियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 182 एवं 211 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक पी/18) तथा इस्तिगसः (अनुलग्नक पी/19) के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 इस प्रकरण की जड़ में जाती है और यह प्रतिपादित करती है कि बिना किसी विधिवत शिकायत के, स्वयं पहल करते हुए पूर्व जाँच (**investigation**) करना विधिसंगत नहीं है। तथापि, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, जो कि धारा 155(2) के अंतर्गत गैर-संज्ञेय अपराध की जाँच हेतु अनिवार्य है, उत्तरवादी क्रमांक 4 से 7 के कथन दर्ज किए गए, अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा जाँच की गई, जो विधि के प्रतिकूल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 4, 5, 6 एवं 8 की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भारत ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि फर्म के विघटन के पश्चात पक्षकारों के मध्य यह सहमति हुई थी कि खातों का निराकरण एकमात्र मध्यस्थ (**sole arbitrator**) श्री एम.एल. झाबक द्वारा किया जाएगा, जो याचिकाकर्ता के फूफा-ससुर हैं। एकमात्र मध्यस्थ श्री मोतीलाल झाबक ने तहसीलदार, रायपुर के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत किया और यह कहा कि उक्त भूमि साझेदारी फर्म की धनराशि से श्रीमती चेतना सुराना के नाम पर क्रय की गई थी तथा उसे साझेदारी फर्म की संपत्ति (**stock of partnership firm**) में सम्मिलित कर दिया गया था और तत्पश्चात उसे विभिन्न ग्राहकों को विक्रय कर दिया गया तथा उसकी राशि भी फर्म में जमा की गई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि फर्म की संपत्ति है और उत्तरवादी क्रमांक 4 डी.पी. गांधी उक्त संपत्ति के हकदार हैं। थाना प्रभारी ने यह पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और इसलिए उन्होंने न्यायालय के समक्ष खात्मा रिपोर्ट (**closure report**) प्रस्तुत किया, जिसे याचिकाकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात स्वीकार कर लिया गया। उसके विरुद्ध

2012:CGHC:5704

प्रस्तुत पुनरीक्षण भी निरस्त कर दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397(3) के अंतर्गत द्वितीय पुनरीक्षण याचिका पोषणीय़ नहीं है। वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता वस्तुतः रिट याचिका के आवरण में द्वितीय पुनरीक्षण करने का प्रयास कर रहा है, जबकि विधिक रूप से द्वितीय पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी, चुनौती दिए गए आदेशों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

आगे यह भी तर्क दिया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 182, 211/34 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञान लेने के पश्चात केवल नोटिस जारी किया गया है और याचिकाकर्ता को अपना बचाव प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा। इस अवस्था में समन जारी किए जाने के आदेश को न तो निरस्त किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विधिक मुद्दों का उत्तर देते हुए श्री प्रफुल्ल एन. भारत ने यह कहा कि यद्यपि प्रारंभ में शिकायत याचिकाकर्ता द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष की गई थी, किंतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामला थाना प्रभारी, गोल बाजार को भेज दिया, जिन्होंने प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की और विवेचना की। अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क)(i) के प्रयोजनार्थ थाना प्रभारी ही "संबंधित लोक सेवक" है। इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 211 किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के आशय से झूठा अपराध आरोपित करने से संबंधित है। उक्त धारा में कहीं यह निर्धारित नहीं किया गया है कि कार्यवाही केवल न्यायालय में ही प्रारंभ की जानी चाहिए। इसके विपरीत, धारा 211 यह प्रावधान करती है कि जो कोई किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के आशय से उसके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही संस्थित करता है या करवाता है अथवा यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध ऐसा कोई न्यायोचित या विधिसम्मत आधार नहीं है, किसी व्यक्ति पर झूठा अपराध आरोपित करता है, वह दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। इस प्रकार विधि के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दांडिक कार्यवाही संस्थित करता है या करवाता है अथवा झूठा आरोप लगाता है तो वह उक्त धारा के अंतर्गत आएगा।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायत लोक सेवक अर्थात् थाना प्रभारी, थाना गोल बाजार, रायपुर द्वारा दायर की गई है और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200(क)

सहपठित धारा 204(1)(क) के अनुसार समन जारी करने से पूर्व शिकायतकर्ता एवं उसके गवाहों का परीक्षण करना आवश्यक नहीं था और इस कारण समन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता।

5. मैंने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना तथा चुनौती दिए गए आदेशों का अवलोकन किया।

6. मैं सर्वप्रथम उन आदेशों की वैधता एवं औचित्यता की जांच करूँगा, जिनके द्वारा विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 16.09.2008 (अनुलग्नक पी/2) को पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर के थाना प्रभारी द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत (अनुलग्नक पी/16) के संबंध में प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट (**closure report**) को स्वीकार किया, तथा दिनांक 04.11.2009 (अनुलग्नक पी/3) के उस आदेश की भी, जिसके द्वारा उक्त दिनांक 16.09.2008 के आदेश के विरुद्ध वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण याचिका को निरस्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा पुनरीक्षण न्यायालय, दोनों ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यद्यपि वादग्रस्त भूमि याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत है, तथापि याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रही कि उसने उक्त भूमि के क्रय हेतु विक्रय मूल्य (**sale consideration**) तथा पंजीयन व्यय फर्म *मेसर्स नैचुरल एस्टेट्स* को अदा किया था, जिससे उसने उक्त संपत्ति क्रय करने का दावा किया है; इसके विपरीत, पंजीयन शुल्क की राशि फर्म के खाते से डेबिट की गई थी; मूल विक्रय विलेख (**sale deed**) फर्म के पास था; विघटन विलेख (**deed of dissolution**) के अनुसार श्री मोतीलाल झाबक, जो याचिकाकर्ता के फूफा-ससुर हैं, को एकमात्र मध्यस्थ (**sole arbitrator**) नियुक्त किया गया था और उन्होंने स्वयं तहसीलदार के समक्ष यह कथन दिया कि उक्त भूमि फर्म को आवंटित की गई थी; फर्म ने अन्य भूमि भी, जो याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत थी, 54 व्यक्तियों को विक्रय कर दी थी तथा उसकी विक्रय राशि फर्म के खाते में समायोजित की गई थी; मोतीलाल झाबक ने स्वयं जांच के दौरान यह स्वीकार किया कि उन्होंने उत्तरवादी क्रमांक-4 श्री डी.पी. गांधी के पक्ष में शपथपत्र प्रस्तुत किया था तथा वह न तो मिथ्य है और न ही कूटरचित (**forged**) है; याचिकाकर्ता पहले ही एक सिविल वाद दायर कर चुकी है, जिसमें पक्षकारों के मध्य स्वत्व संबंधी विवाद का निराकरण किया जाएगा; किंतु प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और उक्त आरोप याचिकाकर्ता द्वारा बिना किसी

युक्तिसंगत एवं संभावित आधार के लगाए गए हैं—इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुलग्नक पी/2 तथा पी/3 के रूप में आक्षेपित आदेश पारित किए गए।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, मुझे अनुलग्नक पी/2 एवं अनुलग्नक पी/3 के रूप में पारित आक्षेपित आदेशों में कोई ऐसी विधिक त्रुटि अथवा अवैधता परिलक्षित नहीं होती, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इस न्यायालय के हस्तक्षेप को औचित्यताता प्रदान करे।

9. यह निर्विवाद है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397(3) के अंतर्गत द्वितीय पुनरीक्षण याचिका संधारणीय नहीं है। जब याचिकाकर्ता पहले ही धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग कर चुकी है और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई उसकी द्वितीय पुनरीक्षण याचिका धारा 397(3) के अंतर्गत प्रतिबंधित है, तब संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप के लिए अत्यंत असाधारण परिस्थितियों का होना आवश्यक है, क्योंकि अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रदत्त पर्यवेक्षणीय अधिकार का उद्देश्य विधिक प्रतिबंधों को दरकिनार करना नहीं है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकरीता एवं कर्तव्य मूलतः यह सुनिश्चित करना है कि उसके अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों ने वह किया है जो विधि अनुसार उनसे अपेक्षित था। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के अंतर्गत केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है— जैसे कि अधिकारिता का त्रुटिपूर्ण ग्रहण करना या अधिकारिता से परे कार्य करना, अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार करना, अभिलेख के मुख पर प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि होना (जो मात्र विधिक भूल से भिन्न हो), अधिकार अथवा विवेकाधिकार का मनमाना या सनकी प्रयोग, प्रक्रिया में स्पष्ट एवं गंभीर त्रुटि, ऐसा निष्कर्ष निकालना जो सर्वथा विकृत हो अथवा किसी साक्ष्य पर आधारित न हो, अथवा जिससे प्रत्यक्ष अन्याय उत्पन्न होता हो। जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यों से संबंधित निष्कर्षों का प्रश्न है, उच्च न्यायालय मात्र इस आधार पर कि तथ्यात्मक निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त नहीं कर सकता। वर्तमान प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा पुनरीक्षण न्यायालय दोनों ने प्रकरण की समस्त तथ्यात्मक स्थिति का समुचित एवं विस्तारपूर्वक परीक्षण कर यह पाते हुए कि अभिलेख पर ऐसा कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे उत्तरवादी क्रमांक 4 से 7 द्वारा किसी अपराध के किए जाने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2012:CGHC:5704

का संकेत मिलता हो, याचिकाकर्ता की आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

10. उपर्युक्त तथ्यों एवं विवेचन के प्रकाश में, जहाँ तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 16.09.2008 को पारित आदेश (अनुलग्नक–पी/2) तथा अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.11.2009 को पारित आदेश (अनुलग्नक–पी/3) के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका का संबंध है, वह पूर्णतः निराधार है तथा उसमें कोई गुण नहीं है।

11. अब मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2009 (अनुलग्नक–पी/1) की वैधता एवं औचित्यता की समीक्षा करता हूँ।

12. थाना प्रभारी, पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 182 तथा 211 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 182 एवं 211 इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

182. इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे--जो कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी इत्तिला, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह सम्भाव्य जानते हुए देगा कि वह उसको तद्द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक --

(क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक सेवक, यदि उसे उस संबंध में, जिसके बारे में ऐसी इत्तिला दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता, अथवा

(ख) ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

211. क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप- जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या

आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;

तथा ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, '[आजीवन कारावास] या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन को यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि— जिस व्यक्ति को सूचना दी गई थी, वह एक लोक सेवक था; दी गई सूचना मिथ्य थी; तथा अभियुक्त को सूचना देते समय यह ज्ञान था या उसने विश्वास किया था कि उक्त सूचना मिथ्य है। अभियोजन को आगे यह भी सिद्ध करना होता है कि अभियुक्त का यह आशय था, या उसे यह ज्ञान था कि उसके द्वारा दी गई मिथ्य सूचना के कारण संबंधित लोक सेवक ऐसा कोई कार्य करेगा या करने से विरत रहेगा, जो वह वास्तविक तथ्यों के ज्ञात होने पर न करता या करने से विरत न रहता; अथवा यह कि अभियुक्त का यह आशय था, या उसे यह ज्ञान था कि उसके कृत्य से लोक सेवक अपनी विधिक शक्तियों (**lawful powers**) का प्रयोग किसी व्यक्ति को क्षति (**injury**) या उत्पीड़न/कष्ट (**annoyance**) पहुँचाने के लिए करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 211 को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व यह हैं कि— शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के किए जाने का मिथ्या (झूठा) आरोप लगाया गया हो; अर्थात् वह व्यक्ति वास्तव में निर्दोष हो।

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 लोक सेवकों के विधिसम्मत अधिकार के अवमानना से संबंधित अभियोजन, लोक सेवकों के विरुद्ध किए गए अपराधों तथा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के अभियोजन का प्रावधान करती है। इसमें एक वैधानिक निषेध (**embargo**) भी निहित है, जिसके अनुसार— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय तब तक नहीं ले सकता, जब तक कि उस संबंध में **"**संबंधित लोक सेवक**"** द्वारा या उसके प्रशासनिक अधीनस्थ किसी अन्य लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत न की गई हो; तथा जब भारतीय दण्ड संहिता की

2012:CGHC:5704

धारा 211 के अंतर्गत कोई अपराध किसी न्यायालय की कार्यवाही में या उससे संबंधित किए जाने का आरोपित हो, तब उस अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय तब तक नहीं ले सकता, जब तक कि— संबंधित न्यायालय द्वारा, या उस न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु लिखित रूप से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, या उस न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत न की गई हो।

16. प्रकरण के तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 से 7 के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित की गई थी, तथापि उक्त शिकायत को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना गोल बाजार, रायपुर के थाना प्रभारी को संदर्भित कर दिया गया, जहाँ उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, अपराध क्रमांक 137/2007 पंजीबद्ध किया गया तथा मामले की विधिवत विवेचना की गई।

17. प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में किए गए कथनों को थाना गोल बाजार, रायपुर के थाना प्रभारी के समक्ष पुनः दोहराया गया, जिन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत विवेचना की। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि थाना गोल बाजार के थाना प्रभारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क)(**i**) के अर्थ में **"**संबंधित लोक सेवक (**public servant concerned**)**"** नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादी क्रमांक 4 से 7 की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक (उत्तरवादी क्रमांक 2) द्वारा भी प्रकरण की जाँच की गई तथा एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर उसे अपने अभिमत सहित थाना प्रभारी, थाना गोल बाजार, रायपुर को प्रेषित किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 36 पुलिस महानिदेशक को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। यह ऐसा प्रकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट सीधे पुलिस महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत की हो और पुलिस महानिदेशक ने स्वयं विवेचना कर उसे मिथ्य पाया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उस प्रकरण में, जिसमें शिकायत थाना जालंधर के थाना प्रभारी (**S.H.O.**) के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने द्वितीय अपीलकर्ता को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर के पास जाने का निर्देश दिया था, तत्पश्चात द्वितीय अपीलकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक जियान सिंह को अपीलकर्ता के अनुरोध के अनुपालन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। जब उक्त निर्देश के आधार पर उत्तरवादी के परिसरों में तलाशी लेने का प्रयास किया गया, तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया, तलाशी की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की तथा छापामार दल के साथ दुर्व्यवहार

किया। तथापि, कारखाने में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। इस संबंध में विशेष शाखा (**CIA**) के प्रभारी जियान सिंह द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक (डिटेक्टिव) द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि लखानी रबर उद्योग लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन जाँच उपरांत मिथ्य पाया गया, जिसके कारण सरस्वती उत्पादन प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिष्ठा (**goodwill**) को क्षति पहुँची। जहाँ एक ओर थाना प्रभारी, आदमपुर को निर्देशित किया गया था कि वह लखानी रबर उद्योग लिमिटेड के अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 के अंतर्गत कार्यवाही करे, वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पी.डी. लखानी एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य**, **(2008) 5 SCC 150** के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया कि थाना प्रभारी ने उक्त शिकायत पर कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि अपीलकर्ता क्रमांक-2 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर (शिकायत शाखा) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने को कहा था, जिसका उसने पालन किया। अतः वह शिकायत उच्च अधिकारी के समक्ष की गई थी तथा मामले में जो भी कार्यवाही हुई, वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर के आदेशानुसार हुई थी। परंतु वर्तमान प्रकरण के तथ्य पूर्णतः भिन्न हैं। यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कोई जाँच या कार्यवाही नहीं की, बल्कि केवल शिकायत को थाना प्रभारी, थाना गोल बाजार, रायपुर को संदर्भित किया, जिन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सुचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना की। अतः वे निश्चित रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क)(**i**) के अर्थ में **"**संबंधित लोक सेवक (**public servant concerned**)**"** हैं। अतः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत उपर्युक्त निर्णय, वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के किसी प्रकार सहायक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उपर्युक्त विवेचन के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि थाना प्रभारी, थाना गोल बाजार, रायपुर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 211/34 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई शिकायत, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क)(**i**) के अर्थ में **"**संबंधित लोक सेवक**"** द्वारा ही दायर की गई है। अतः माननीय मजिस्ट्रेट विधिक रूप से सक्षम थे कि वे थाना प्रभारी, थाना गोल बाजार, रायपुर की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का संज्ञान (**cognizance**) ग्रहण करें।

20. जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत की गई शिकायत का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि धारा 211 का अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1) के खंड (ख) के

उप-खंड (**i**) में संदर्भित है। धारा 195(1)(ख) का अंतिम वाक्य इस प्रकार है – "केवल उस न्यायालय की लिखित शिकायत पर, या उस न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय की लिखित शिकायत पर।" न्यायालय द्वारा शिकायत किया जाना केवल उसी स्थिति में आवश्यक होता है, जब **"**अपराध किसी न्यायालयीन कार्यवाही में या उससे संबंधित रूप में किया गया हो**"** (जैसा कि खंड (ख) के उप-खंड (**i**) के अंतिम भाग में उल्लेखित है)। अतः, जहाँ कोई झूठा आरोप पुलिस के समक्ष लगाया गया हो और न्यायालय के समक्ष नहीं, वहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(ख)(**i**) के अंतर्गत किसी प्रकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सच्चिदानंद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (1998) 2 SCC 493** के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(ख)(**ii**) में निहित प्रतिबंध उस स्थिति में लागू नहीं होता, जब कथित अपराध उस दस्तावेज़ के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **इक़बाल सिंह मारवाह एवं अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह एवं अन्य**, (2005) 4 **SCC** 370 के प्रकरण में, सच्चिदानंद सिन्हा (पूर्वोक्त) के निर्णय में प्रतिपादित दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(ख)(**ii**) केवल उसी स्थिति में लागू होगी, जब उक्त प्रावधान में वर्णित अपराध किसी दस्तावेज़ के संबंध में उस समय किया गया हो, जब वह दस्तावेज़ किसी न्यायालयीन कार्यवाही में प्रस्तुत किया जा चुका हो अथवा साक्ष्य के रूप में दिया जा चुका हो, अर्थात उस अवधि में जब वह दस्तावेज़ न्यायालय की अभिरक्षा में हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वर्तमान प्रकरण में, कथित रूप से झूठा आरोप पुलिस के समक्ष लगाया गया है, न कि किसी न्यायालय के समक्ष, और उसी आधार पर पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर के थाना प्रभारी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर के थाना प्रभारी जैसे लोक सेवक की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते, पूर्णतः निराधार एवं असंगत है।

23. वर्तमान प्रकरण में, पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर के थाना प्रभारी द्वारा यह शिकायत इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि याचिकाकर्ता ने झूठी शिकायत दर्ज कराकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 211 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध कारित किया है। यहाँ,

शिकायत के अनुसार लोक सेवक अर्थात् पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर के थाना प्रभारी स्वयं पीड़ित/प्रभावित व्यक्ति (**aggrieved person**) हैं। यह ऐसा मामला नहीं है कि किसी गैर-संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर, उसमें जाँच करने के उपरांत थाना प्रभारी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई शिकायत अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो। अतः यह कहना सही नहीं है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 के प्रावधान ऐसी शिकायत के प्रस्तुतीकरण को वर्जित करें।

24. तथापि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अनुसार, यदि अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट यह मत बनाता है कि कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है और प्रकरण समन प्रकरण प्रतीत होता है, तो वह अभियुक्त की उपस्थिति हेतु समन जारी करेगा। अतः मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने से पूर्व यांत्रिक ढंग से, बिना समुचित विचार-विमर्श (**application of mind**) किए कार्य नहीं करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***पेप्सी फूड्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य, (1998) 5 SCC 749*** के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि किसी दांडिक प्रकरण में अभियुक्त को तलब करना एक गंभीर विषय है। दांडिक कानून को सामान्यतः अथवा स्वाभाविक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को समन जारी करने के आदेश से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए कि उसने प्रकरण के तथ्यों एवं उस पर लागू विधि पर समुचित रूप से विचार किया है। वर्तमान प्रकरण में, दिनांक 09.12.2009 (अनुलग्नक-पी/1) का वह आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को समन जारी किया गया है, यह प्रदर्शित नहीं करता कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किसी प्रकार का विवेकपूर्ण विचार अथवा न्यायिक मनन किया गया है। अतः, मेरे सुविचारित मत में, दिनांक 09.12.2009 (अनुलग्नक-पी/1) का उक्त आदेश विधि की दृष्टि से रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे बिना समुचित सोच विचार के पारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर, यह याचिका, जहाँ तक यह दिनांक 16.09.2008 (अनुलग्नक-पी/2) के उस आदेश से संबंधित है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर के थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट (**closure report**) को, याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत (अनुलग्नक-पी/16) के संदर्भ में, स्वीकार किए जाने से संबंधित है, तथा दिनांक 04.11.2009 (अनुलग्नक-पी/3) के उस आदेश से संबंधित है, जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 16.09.2008 के आदेश

2012:CGHC:5704

के विरुद्ध प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण को निरस्त किया है —गुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।तथापि, जहाँ तक दिनांक 09.12.2009 (अनुलग्नक-पी/1) के उस आदेश का संबंध है, जिसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध समन जारी किया है, उस सीमा तक याचिका स्वीकार की जाती है तथा दिनांक 09.12.2009 (अनुलग्नक-पी/1) का उक्त आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण को पुनः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**remit**) किया जाता है कि वह इस आदेश में की गई उपर्युक्त टिप्पणियों/अवलोकनों के आलोक में, विधि अनुसार, नवीन आदेश पारित करे।

26. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2012:CGHC:5704

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur